राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर बारां (राजस्थान)

—:: कार्यालय आदेश ::—

मौसम विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के आधार पर जिले में अतिवृष्टि के प्रकोप को दृष्टिगत रखते हुए जिले में संचालित कक्षा 1—12 तक के समस्त राजकीय एवं गैर राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को भारी बारिश के प्रभाव से बचाव एवं विद्यार्थियों के जीवन को मद्देनजर रखते हुए विद्यालय में अवकाश घोषित किया जाना अति आवश्यक है।

अतः मैं रोहिताश्व सिंह तोमर जिला कलक्टर एवं अध्यक्ष जिला आपदा प्रबन्धन आपदा प्राधिकरण बारां, आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 के अध्याय 4 की धारा 30 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बारां जिलें में संचालित कक्षा 1—12 तक के **समस्त राजकीय एवं गैर राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों का दिनांक 28.07.2025 व 29.07.2025 का दो दिवस का अवकाश घोषित करता हूं।** यह अवकाश केवल कक्षा 1—12 तक के विद्यार्थियों के लिए ही लागू रहेगा व शेष अधिकारी/कर्मचारी यथावत कार्य करते रहेंगे। जिले में समस्त संस्थाप्रधानों को निर्देशित किया जाता है कि इस आदेश की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करें। यदि कोई संस्थाप्रधान निर्धारित कक्षा संचालन करता पाया जाता है तो आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही अमल में लायी जावेगी।

(रोहिताश्व सिंह तोमर)
जिला कलक्टर बारां

क्रमांक — जिला कलक्टर/बारां/2025 **दिनांक — यथाहस्ताक्षर**

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. श्रीमान् निदेशक महोदय माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर।
2. संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा कोटा संभाग कोटा।
3. उपखण्ड अधिकारी/तहसीलदार समस्त जिला बारां।
4. **मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी समग्र शिक्षा बारां को प्रेषित कर लेख है कि जिले में संचालित राजकीय व गैर राजकीय विद्यालयों में उक्त आदेश की पालना कराया जाना सुनिश्चित करावें।**
5. जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक/प्रारम्भिक बारां।
6. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी समग्र शिक्षा जिला बारां।
7. जिला सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी बारां।
8. समस्त संस्थाप्रधान जिला बारां।
9. कार्यालय प्रति।

जिला कलक्टर बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Designation : Collector & District Magistrate
Date: 2025.07.27 12:32:33 IST
Reason: Approved